

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 2017/00188

1. वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

वादी

बनाम

1. अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. रामचन्द्र पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3. इन्द्राज तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं
धारा 136 एल.आर.एक्ट**

—: निर्णय :-

दिनांक :-

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बक्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के आदेश 1989 निरस्त हो चुका है इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इंतकाल को निरस्त कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा क्योंकि तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया है।

उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)